



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 860]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 18, 2017/ आश्विन 26, 1939

No. 860]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 18, 2017/ASVINA 26, 1939

**आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय**

**(नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन)**

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 5 अक्टूबर, 2017

**सा.का.नि. 1307(अ).**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और शहरी विकास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय, नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन, समूह 'ग' (अनुसचिवीय और अननुसचिवीय) और समूह 'घ' पद भर्ती नियम, 2003 को, जहां तक उनका संबंध हिंदी अनुवादक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन में कनिष्ठ अनुवादक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन, कनिष्ठ अनुवादक भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.-** पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों के उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं आदि.-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरहता.-** वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.-** इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

**अनुसूची**

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कनिष्ठ अनुवादक	1* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	स्तर-6 (35400-112400/- रु.)	लागू नहीं होता।	30 वर्ष से अधिक नहीं।  (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जाती है।)  <b>टिप्पण:</b> आयु-सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तिथि भारत के अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी (न कि वह अंतिम तिथि जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर,

					नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर राज्य का लद्दाख खण्ड और हिमाचल प्रदेश का लाहौल एवं स्पीति जिला और चम्बा जिले का पांगी उप-खण्ड, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।
--	--	--	--	--	---

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
<p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में मास्टर डिग्री और डिग्री स्तर पर अनिवार्य अथवा वैकल्पिक विषय अथवा परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी हो; या</p> <p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में मास्टर डिग्री और डिग्री स्तर पर अनिवार्य अथवा वैकल्पिक विषय अथवा परीक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी हो; या</p> <p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी अथवा अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य विषय में हिंदी माध्यम से मास्टर डिग्री और डिग्री स्तर पर अनिवार्य अथवा वैकल्पिक विषय अथवा परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी हो; या</p> <p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी अथवा अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी</p>	लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष।	<p>सीधी भर्ती द्वारा।</p> <p>पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या अन्य परिस्थितियों के अंतर्गत एक वर्ष या अधिक अवधि के लिए पद से हटने से होने वाली रिक्ति के कारण इसे केंद्रीय या राज्य सरकार या संघ राज्य के ऐसे अधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्ति आधार पर भरा जा सकता है:-</p> <p>(क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300/- रु.) या समतुल्य पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस स्तर में नियमित आधार पर छः वर्ष की सेवा</p>

<p>अन्य विषय में अंग्रेजी माध्यम से मास्टर डिग्री और डिग्री स्तर पर अनिवार्य अथवा वैकल्पिक विषय अथवा परीक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी हो; या</p> <p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी अथवा अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य विषय में मास्टर डिग्री और डिग्री स्तर पर अनिवार्य अथवा वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी तथा अंग्रेजी हों अथवा दोनों में से एक परीक्षा का माध्यम हो और दूसरा अनिवार्य अथवा वैकल्पिक विषय हो; और</p> <p>हिंदी से अंग्रेजी तथा अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद में मान्यताप्राप्त डिप्लोमा अथवा प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम हो अथवा केंद्र या राज्य सरकार के कार्यालयों में, जिसके अंतर्गत भारत सरकार के उपक्रम भी हैं, हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करने का दो वर्ष का अनुभव हो।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में, कारणों को लेखबद्ध करके, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> अनुभव संबंधी अर्हताएं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उन समुदायों के अपेक्षित</p>			<p>की हैं; या</p> <p>(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100/- रु.) या समतुल्य पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस स्तर में नियमित आधार पर दस वर्ष की सेवा की हैं; और</p> <p>(ख) जिनके पास स्तंभ 7 के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं।</p> <p><b>टिप्पण:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसमें केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि सम्मिलित है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>
--	--	--	---

अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।			
--	--	--	--

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	<p>विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टिकरण के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. मुख्य नियोजक या अपर मुख्य नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन - अध्यक्ष</li> <li>2. नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन - सदस्य</li> <li>3. सह नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन - सदस्य</li> </ol>	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए-12018/1/2014/टीसीपीओ/प्रशा. III/अमृत-II/ए]

शिव दास मीना, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS**  
(TOWN AND COUNTRY PLANNING ORGANISATION)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th October, 2017

**G.S.R. 1307(E).**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation, Town and Country Planning Organisation, Group 'C' (Ministerial and Non-Ministerial) and Group 'D' posts Recruitment Rules 2003, in so far as they relate to the post of Hindi Translator, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Junior Translator in the Ministry of Housing and Urban Affairs, Town and Country Planning Organisation, namely:—

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Town and Country Planning Organisation, Junior Translator Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, level in pay matrix.**— The number of post, its classification, level in pay matrix attached thereto, shall be as specified in its columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, educational qualifications, etc.**— The method of recruitment, age-limit, educational qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**— No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Class, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in the Pay Matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Junior Translator	1*  *(2017) Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', non-Gazetted, non-Ministerial.	Level-6 (Rs.35400-112400/-)	Not applicable.	Not exceeding 30 years.  (Relaxable for Government servants upto five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).  <b>Note:</b> The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India, (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman Nicobar Islands or Lakshadweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
<p>Master's degree of a recognised University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or</p> <p>Master's degree of a recognised University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or</p> <p>Master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of a examination at the degree level; or</p> <p>Master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of a examination at the degree level; or</p> <p>Master's Degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as a compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at the degree level; and</p> <p>Recognised Diploma or Certificate course in translation from Hindi to English and vice-versa or two years experience of translation work from Hindi to English and vice-versa in Central or State Government office, including Government of India Undertaking.</p> <p><b>Note 1:</b> Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p><b>Note 2:</b> The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority in the case of</p>	Not applicable.	Two years for direct recruits.	<p>By direct recruitment.</p> <p>Vacancies caused by the incumbent being away on transfer on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis officers from the Central or State Governments or Union Territories:-</p> <p>(a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with six years' service in the level rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the level-5 (Rs.29200-92300/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; or</p> <p>(iii) with ten years' service in the level rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the level-4 (Rs.25500-81100/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and</p> <p>(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 7.</p> <p><b>Note:</b> Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>

candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.			
In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grade from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.	
(11)	(12)	(13)	
Not Applicable.	Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of:  1. Chief Planner or Additional Chief Planner, Town and Country Planning Organisation – Chairman;  2. Town and Country Planner, Town and Country Planning Organisation – Member;  3. Associate Town and Country Planner, Town and Country Planning Organisation – Member.	Consultation with the Union Public Service Commission not necessary.	

[F. No. A-12018/1/2014/TCPO/Admn.-III/AMRUT-IIA]

SHIV DAS MEENA, Jt. Secy.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अक्टूबर, 2017

**सा.का.नि.1308(अ).**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन (हिंदी अधिकारी) भर्ती नियम, 1984 को, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिकरण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन में सहायक निदेशक (राजभाषा) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन, सहायक निदेशक (राजभाषा) भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

**2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.-** पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों के उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

**3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं आदि.-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।



**4. निरर्हता.-** वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

**5. शिथिल करने की शक्ति.-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

**6. व्यावृत्ति.-** इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

**अनुसूची**

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक निदेशक (राजभाषा)	1* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय।	स्तर-10 (56100- 177500/- रु.)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	संयुक्त पद्धति [प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) और प्रोन्नति] द्वारा।

<p>प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा</p>	<p>यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना</p>	<p>भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा</p>
(11)	(12)	(13)
<p>संयुक्त पद्धति (प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) और प्रोन्नति):-</p> <p>केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या विश्वविद्यालयों या अर्ध-सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के ऐसे अधिकारी;</p> <p>(क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400/- रु.) या समतुल्य पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस स्तर में नियमित आधार पर तीन वर्ष की सेवा की हैं; या</p> <p>(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400/- रु.) या समतुल्य पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस स्तर में नियमित आधार पर आठ वर्ष की सेवा की हैं; और</p> <p>(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं-</p> <p>आवश्यक:</p> <p>(i) (अ) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में मास्टर डिग्री और डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी हो; या</p> <p>(आ) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में मास्टर डिग्री और डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी हो; या</p> <p>(इ) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य विषय में हिंदी माध्यम से मास्टर डिग्री और डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी हो; या</p>	<p>लागू नहीं होता।</p>	<p>प्रत्येक अवसर पर पद पर नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।</p>

(ई) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य विषय में अंग्रेजी माध्यम से मास्टर डिग्री और डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी हो; या

(उ) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य विषय में मास्टर डिग्री और डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी तथा अंग्रेजी हों या दोनों में से एक परीक्षा का माध्यम हो और दूसरा अनिवार्य या वैकल्पिक विषय हो;

(ii)(अ) केन्द्रीय या राज्य सरकारों या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान या शैक्षणिक संस्थानों में हिंदी में पारिभाषिक शब्दावली (पारिभाषिक शब्दावली विषयक कार्य) को व्यवहार या कार्य में लाने और हिंदी से अंग्रेजी अथवा हिंदी से अंग्रेजी, अधिमानतः तकनीकी अथवा वैज्ञानिक साहित्य के अनुवाद में तीन वर्ष का अनुभव हो; या

(आ) केन्द्र या राज्य सरकारों या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान या शैक्षणिक संस्थानों में हिंदी और अंग्रेजी में पढ़ाने का अथवा हिंदी अथवा अंग्रेजी में अनुसंधान का तीन वर्ष का अनुभव हो।

वांछनीय:

किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं के स्तर तक संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित हिंदी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा का अध्ययन किया हो।

**टिप्पण:** ऐसा विभागीय कनिष्ठ अनुवादक जिसने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400/- रु.) में उस स्तर में आठ वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली है और केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा संचालित तीन महीने के अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, के संबंध में भी बाह्य अधिकारियों के साथ विचार किया जाएगा और यदि उसका उस पद पर नियुक्ति के लिए चयन कर लिया जाता है तो वह पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसमें केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि सम्मिलित है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

## NOTIFICATION

New Delhi, the 5th October, 2017

**G.S.R. 1308(E).**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Town and Country Planning Organisation (Hindi Officer) Recruitment Rules, 1984, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Assistant Director (Official Language) in the Ministry of Housing and Urban Affairs, Town and Country Planning Organisation, namely:—

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Town and Country Planning Organisation, Assistant Director (Official Language) Recruitment Rules, 2017.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Number of post, classification, level in pay matrix.**— The number of post, its classification, level in pay matrix attached thereto, shall be as specified in its columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
3. **Method of recruitment, age-limit, educational qualifications, etc.**— The method of recruitment, age-limit, educational qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
4. **Disqualification.**— No person, —  
(c) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or  
(d) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
6. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Class, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

## SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Assistant Director (Official Language)	1* *(2017) Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'A', Gazetted, non-Ministerial	Level-10 (Rs.56100-177500/-)	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By composite method [Deputation (Including Short Term Contract) plus promotion]

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grade from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
<p>Composite method (Deputation (Including Short Term Contract) plus promotion):-</p> <p>I. Officers under the Central Government or State Governments or Union territories or Public Sector Undertakings or Recognised Research Institutions or Universities or semi Government or Statutory or Autonomous Organisation;</p> <p>(a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with three years' service in the level rendered after appointment thereto on a regular basis in the posts in the level-7 (Rs.44900-142400/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; or</p> <p>(iii) with eight years' service in the level rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the level-6 (Rs.35400-112400/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications and experience-</p> <p><b>Essential:</b></p> <p>(i)(A) Master's degree of a recognised University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or</p> <p>(B) Master's degree of a recognised University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or</p> <p>(C) Master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or</p> <p>(D) Master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as a medium of a examination at the degree level; or</p> <p>(E) Master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as a compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at the degree level;</p> <p>(ii)(A) Three years' experience of using or applying terminology (terminological work) in Hindi and translation work from English to Hindi or vice-versa, preferably of technical or scientific literature under Central or State Governments or Autonomous Body or Statutory Organisations or Public Sector Undertakings or Universities or recognised Research or Educational Institutions; or</p>	Not applicable.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary for appointment to the post on each occasion.

<p>(B) Three years' experience of teaching in Hindi and English or research in Hindi or English under Central or State Governments or Autonomous Body or Statutory Organisations or Public Sector Undertakings or Universities or recognised Research or Educational Institutions.</p> <p><b>Desirable:</b> Studied one of the languages other than Hindi included in the Eighth Schedule of the Constitution at 10<sup>th</sup> level from a recognised Board.</p> <p><b>Note:</b> The Departmental Junior Translator in the level-6 (Rs. 35400-112400/-) in the pay matrix with eight years' regular service in the level and have successfully completed three months' Translation Training Program conducted by Central Translation Bureau, Department of Official Language, Ministry of Home Affairs shall also be considered alongwith outsiders officer and in case he or she is selected, the post shall be deemed to have been filled by promotion.</p> <p>(Period of deputation (Including Short Term Contract) including period of deputation (Including Short Term Contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (Including Short Term Contract) shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications).</p>		
---	--	--

[F. No. A-12018/1/2014/TCPO/Admn.-III/AMRUT-IIA]

SHIV DAS MEENA, Jt. Secy.